

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)
 बईजलास - उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

करण संख्या: 92/2019
 तारीख दायर: 02.08.2019

उनवान

- 1 गोपाललाल पिता सीताराम जाति खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।

बनाम

वादी

- 1 बाबूलाल पिता मांगीलाल जाति नायक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
- 2 भंवरी पुत्री मांगीलाल पत्नि प्रभु जाति नायक निवासी बीगोद हाल गुवारडी तहसील भीलवाड़ा।
- 3 शान्ति पुत्री मांगीलाल पत्नि नानू जाति नायक निवासी बीगोद हाल भीलवाड़ा।
- 4 गीता पुत्री मांगीलाल पत्नि मांगीलाल जाति नायक निवासी बीगोद हाल शाहपुरा तहसील शाहपुरा।
- 5 रवि पिता रामगोपाल जाति नायक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
- 6 कोमल पुत्री रामगोपाल पत्नि गोपाल जाति नायक निवासी बीगोद हाल माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।
- 7 गायत्री पुत्री रामगोपाल पत्नि पिन्टु जाति नायक निवासी बीगोद हाल अरनियांघोड़ा तहसील शाहपुरा।
- 8 धोसी देवी पत्नि रामगोपाल जाति नायक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
- 9 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री मनीष वैष्णव (अधिवक्ता वादी)
1. श्री संदीप शर्मा (अधिवक्ता प्रतिवादीगण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:: निर्णय ::-

निर्णय दिनांक : 22.02.2021

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अंतर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाद नियमित सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2020 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम बीगोद पटवार हल्का बीगोद की सरहद में स्थित खाता संख्या 723 के आराजी संख्या 1493 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1494 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1495 रकबा 1.0800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1496 रकबा 3.0800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1503 रकबा 2.1600 कुल कित्ता 05 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा भुमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को बंटवाड़ा प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा आदेशानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 10.02.2021 को विभाजन प्रस्ताव मय ट्रेस जमाबंदी के प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता सुनी गई। वादी एवं प्रतिवादीगण तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव से सहमत हैं।

अतः वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के तहत सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

क्रसं.	नाम खातेदार	मौजा	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	गोपाललाल पिता सीताराम खटीक सा. देह खातेदार	बीगोद	1503	0.1619	
	योग		कित्ता 1	0.1619	




कोमल पुत्री रामगोपाल 3/260, गायत्री पुत्री रामगोपाल 3/260, गीता पुत्री मांगीलाल 31/130, घीसी देवी पत्नि स्व. रामगोपाल 3/260, बाबुलाल पिता मांगीलाल 31/130, भंवरी पुत्री मांगीलाल 31/130, रवि पिता रामगोपाल 3/260, शांती पुत्री मांगीलाल 31/130 जाति नायक सा. देह खातेदार	बीगोद	1496 1503	0.5504 0.2913	
योग		किता 2	0.8417	

वादपत्र में आराजी संख्या 1403,1494,1495 किता 3 रकबा 0.3318 में वादी गोपाललाल पिता सीताराम खटीक का हिस्सा नही होने से खाता यथावत रहेगा।

उक्तानुसार खातेदारो के नाम पर भूमि पृथक पृथक दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते है। वकील वादी द्वारा नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेश करने पर डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उत्साह घोषरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

संख्यांक 1

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास - उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

कारण संख्या: 92/2019
तारीख दायर: 02.08.2019

1 गोपाललाल पिता सीताराम जाति उनवान खटीक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।

वादी

- बनाम
- बाबूलाल पिता मांगीलाल जाति नायक निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ़।
 - भंवरी पुत्री मांगीलाल पत्नि प्रभु जाति नायक निवासी बीगोद हाल गुवारडी तहसील भीलवाड़ा।
 - शान्ति पुत्री मांगीलाल पत्नि नानू जाति नायक निवासी बीगोद हाल गुवारडी तहसील भीलवाड़ा।
 - गीता पुत्री मांगीलाल पत्नि मांगीलाल जाति नायक निवासी बीगोद हाल भीलवाड़ा।
 - शाहपुरा।
 - रवि पिता रामगोपाल जाति नायक निवासी बीगोद हाल शाहपुरा तहसील
 - कोमल पुत्री रामगोपाल पत्नि गोपाल जाति नायक निवासी बीगोद हाल शाहपुरा तहसील
 - तहसील माण्डलगढ़।
 - गंधेत्री पुत्री रामगोपाल पत्नि पिन्दु जाति नायक निवासी बीगोद हाल अरनियांघोड़ा तहसील
 - शाहपुरा।
 - घीसी देवी पत्नि रामगोपाल जाति नायक निवासी बीगोद हाल अरनियांघोड़ा तहसील
 - माण्डलगढ़।
 - राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

उपस्थित :-

प्रतिवादीगण

- श्री मनीष वैष्णव (अधिवक्ता वादी)
- श्री संदीप शर्मा (अधिवक्ता प्रतिवादीगण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955


निर्णय दिनांक: 22.02.2021

अन्तिम डिक्री दिनांक: 22.02.2021

वाद वादी अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित की जाती है। हर्जा खर्चा मुकद्मात फरिफेन अपना अपना वहन करें। पक्षकार द्वारा 100 रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश किया गया जो संलग्न है।


क्र.सं.	नाम खातेदार	मौजा	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	गोपाललाल पिता सीताराम खटीक सा. देह खातेदार	बीगोद	1503	0.1619	
	योग		किता 1	0.1619	
2	कोमल पुत्री रामगोपाल 3/260, गायत्री पुत्री रामगोपाल 3/260, गीता पुत्री मांगीलाल 31/130, घीसी देवी पत्नि स्व. रामगोपाल 3/260, बाबूलाल पिता मांगीलाल 31/130, भंवरी पुत्री मांगीलाल 31/130, रवि पिता रामगोपाल 3/260, शांती पुत्री मांगीलाल 31/130 जाति नायक सा. देह खातेदार	बीगोद	1496 1503	0.5504 0.2913	
	योग		किता 2	0.8417	

वादपत्र में आराजी संख्या 1403,1494,1495 किता 3 रकबा 0.3318 में वादी गोपाललाल पिता
सीताराम खटीक का हिस्सा नही होने से खाता यथावत रहेगा।
आदेश आज दिनांक 19.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर लगाकर दिया गया।


उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	आ.पा.	प्रतिवादी	रूपया	आ.पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			2. अर्जी के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शनों के लिए स्टाम्प			3. प्लीडर की फीस		
.....			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
4. प्लीडर की फीस					
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय					
6. कमिश्नर की फीस			5. आदेशिका को तामील		
7. आदेशिका की तामील			6. कमिश्नर की फीस		


उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़